निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्या:– 97/2023 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांकः– 04/08/2023
निर्णय दिनांकः– 10/01/2025

अनवान

1. मैसर्स रॉयल वाईट माईनिंग प्रा0लि0 डायरेक्टर गोपीलाल पिता बंशीलाल जाति जैन निवासी मकान नम्बर 07, गली नम्बर 03, महावीन नगर हिरण मंगरी सेक्टर नम्बर 04, उदयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमंद

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम अनोपपुरा पटवार सर्कल कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की कब्जे सुदा एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदसुदा भूमि जिसके पुराने आरजी खसरा संख्या 152/2 रकबा 03 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसके सेटलमेन्ट पश्चात् वर्तमान नवीन आराजी संख्या 248 किस्म बिलानाम अंकित किये हैं जो त्रुटिपूर्ण दर्ज है। उक्त भूमि का प्रार्थी खरीदसुदा मालिक है प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2018 को भूमि के खातेदार मालिक

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

विक्रेता शम्भुसिंह पिता भैरूसिंह दरोगा जाति रावणा राजपूत निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द से खरीद की जिसके प्रमाण स्वरूप विक्रय पत्र की फोटो प्रति साथ संलग्न है एवं भूमि खरीद करने के पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई जिसके प्रमाण स्वरूप 2070 से 2073 की जमाबन्दी नकल साथ संलग्न हैं एवं वक्त खरीद से ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि एवं राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटि करते हुए प्रार्थी की उक्त खरीदशुदा कब्जेसुदा भूमि के नवीन आराजी संख्या 248 किस्म बिलानाम दर्ज कर लिया हैं जो त्रुटिपूर्ण दर्ज हैं जबकि प्रार्थी की उक्त भूमि के पुराने आराजी संख्या 152 / 2 रकबा 03 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है। परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की गलती से रिकॉर्ड में बिलानाम दर्ज कर ली है जबकि प्रार्थी पूर्व जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस एवं रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि को बिलानाम दर्ज किया गया है वह गलत दर्ज है उसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी परन्तु अभी प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबन्दी निकलवाने गया तो जानकारी हुई कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं जिस पर खसरा मिलान की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि भूमि बिलानाम दर्ज कर ली गई हैं तब प्रार्थी को राजस्व नक्शे में त्रुटि की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तो पता चला कि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि के राजस्व नक्शे में त्रुटि रह गई

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

है और प्रार्थी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर ली हैं जो त्रुटिवश दर्ज है एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज नवीन खसरा नम्बर 248 को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2070–2073 अनुसार व प्रार्थी के मौके पर कब्जे के अनुसार अंकन एवं तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि के वास्तविक एवं सभी दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी की गई राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पूर्व नक्शा ट्रेस जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज हैं उसी स्थान पर नये आराजी संख्या को अंकित कर दर्ज किया जावें। राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटि की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटिवश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार जिस स्थान पर प्रार्थी को मौके पर कब्जा हैं उसी अनुसार राजस्व जमाबन्दी रेकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में अंकन करा दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी जब उक्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि की शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहुंचे तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जो त्रुटि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं ट्रेस में की गई हैं उसे पुराने जमाबन्दी रिकॉर्ड एवं पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार विशुद्ध करने के लिये श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व जमाबन्दी एवं ट्रेस में गलत अंकन होने की वजह से प्रार्थी भूमि को विकसित नहीं कर पा रहे हैं

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रार्थी पूर्व राजस्व ट्रेस के अनुसार ही मौके पर काबिज है। परन्तु नये नक्शे में त्रुटि होने की वजह से उसे विशुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एवं ट्रेस में प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि जिसके नवीन आराजी संख्या 248 को त्रुटिवश बिलानाम दर्ज कर लिया गया हैं को पुराने खसरा संख्या 152/2 रकबा 03 बीघा पुरानी जमाबन्दी संवत् 2070–2073 एवं पुराने राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर प्रार्थी के कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को विशुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं रिकॉर्ड की पूर्ववत् स्थिति कायम कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब मय मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ग्राम अनोपपुरा के गत सेटलमेन्ट आराजी संख्या 152/2/1 रकाब 03 बीघा होकर मैसर्स रॉयल वाईट माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर के नाम दर्ज थी। उक्त पूर्व सेटलमेन्ट आराजी संख्या 152/2/1 रकबा 03 बीघा के नवीन सेटलमेन्ट वे सेग्रीकेशन से आराजी संख्या 247/1 रकबा 0.65 हैक्टेयर होकर मैसर्स रॉयल वाईट माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पुराने राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 152/2/1 रकबा 03 बीघा जहां तरमीम थी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.79 हैक्टेयर बीड 1 बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गयी है। नवीन नक्शे में बिलानाम

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

आराजी संख्या 248 तरमीम है का शेष रकबा व नवीन आराजी संख्या 247 / 1 तरमीम है पर पुराने आराजी संख्या 152 / 1 जिसके नवीन आराजी संख्या 247 पुराने नक्शे अनुसार तरमीम है। नवीन और पुराने नक्शे अनुसार ग्राम अनापेपुरा में जहां नवीन आराजी संख्या 248 तरमीम है वहां नवीन आराजी संख्या 247 / 1 रकबा 0.65 हैक्टेयर व आराजी संख्या 247 के शेष रकबे व नवीन तरमीम 247 / 1 पर नवीन आराजी संख्या 247 होना चाहिये था।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 152 / 2 कुल रकबा 03 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं काबिज है भूमि पर काबिज कास्त कर रहे है। वर्तमान सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना मौके की जांच पड़ताल किये प्रार्थी की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नाम विलोपित कर दिया है जहां प्रार्थी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी मौके पर कब्जा था राजस्व नक्शे में उसी अनुसार काबिज था। जिसके कारण प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने मौका रिपार्ट की ताईद की।

सहायक कलक्टर, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

मैसर्स रॉयल वाईट माइनिंग प्रा0लि0
बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्या 97 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—10 / 01 / 2025

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

(अ) प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों की माननीय न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को समझना उचीत प्रतीत होता है।

(1) 1996 आर0बी0जे0 पृष्ठ 8: ख्याली व अन्य बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य(उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-
Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

(2) 2003 आर0बी0जे0 पृष्ठ 118: रूपनारायण बनाम कजोड़मल

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136- Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In this case during the settlement operations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराने आराजी खसरा संख्या 152 / 2 रकबा 03 बीघा भूमि के नवीन आराजी संख्या 248 रकबा 0.7900 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी के नाम सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 152 / 2 कुल किता

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

01 रकबा 03 बीघा को सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि को प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्अनुसार प्रार्थी की भूमि को सेटलमेन्ट से पूर्व अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द